संख्या- 662/26-ब0प्र0-2013-4(56)/96टीसी

प्रेषक,

दीनानाथ
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊ: दिनांक: 04 दिसम्बर, 2013

विषय:- रिट याचिका संख्या-58129/2012 के अनुपालन में अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वर्ष 2012-13 की लम्बित देयता के भुगतान हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-200/01/ज0जा0वि0/दशमोत्तर छा0/2013-14 दिनांक 03.10.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपलब्ध केन्द्रांश तथा चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-81 के अधीन संचालित केन्द्र पुरोनिधानित दशमोत्तर छात्रवृत्ति के अन्तर्गत गत वर्ष की लम्बित देयता हेतु रू0 330.77 लाख (रू0 तीन करोड़ तीस लाख सतहत्तर हजार मात्र) धनराशि को आपके निवर्तन पर रखे जाने के लिए श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)- उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि योजनान्तर्गत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त होने पर उक्त धनराशि का समायोजन सुनिश्चित कर लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र में दिये गये निर्देशों की कड़ाई से अनुपालन करते हुए धनराशि व्यय की जायेगी। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में वह स्वयं उत्तरदायी होगें।

(2)- उपर्युक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा।

(3)- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में वह स्वयं उत्तरदायी होगें।

(4)- उक्त स्वीकृति धनराशि का व्यय जनपदवार / संस्थावार पात्र अनुसूचित जनजाति के छात्र/ छात्राओं को ही दिया जायेगा। कोषागार से उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा जितनी धनराशि की तत्काल व्यय किये जाने की आवश्यकता हो।

(5)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/प्रतिबन्धों तथा इस योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)- स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष आवंटन व्यय तभी किया जायेगा जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व वर्षो की स्वीकृत की गयी धनराशि का सम्पूर्ण व्यय/उपभोग किया गया हो और कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/ डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है और पूर्व में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-02-अनुसूचि जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति (के;100/रा;00-के.)-21-छात्रवृत्तियॉ और छात्रवेतन के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-2254/दस-2013, दिनांक 02 दिसम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दीनानाथ)
अनु सचिव।

संख्या- 662(1)/26-ब0प्र0-2013-तद्-दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. वित्त नियंत्रक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7. निदेशक, एन0आई0सी/राज्य योजना आयोग-1/2
8. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(दीनानाथ)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in